कार्यालय–निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001
फोन/फैक्स : 0135–2621669 ई–मेल : director.rajaji@gmail.com

पत्रांक 848 /12-1 देहरादून, दिनांक 14 सितम्बर, 2023

सेवा में

रजिस्ट्रार,
मा0 एन0जी0टी0, प्रधान शाखा,
नई दिल्ली।

विषयः– **Original application No. 772 / 2022 Mohan Chandra Sati Vs. State of Uttarakhand, , before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi.**

सन्दर्भः– प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) /मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या– 2861/29–1, दिनांक 07 जून, 2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–772/2022 Mohan Chandra Sati Vs. State of Uttarakhand में दिनांक 16.05.2022 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 31.08.2023 तक की स्थिति की Status Report दिनांक 15 सितम्बर 2023 तक मा0 एन0जी0टी0 में योजित करने की कार्यवाही के निर्देश के कम में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 16.05.2022 को पारित आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं की जॉच क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, लैन्सडौन से करायी गयी। मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 16.05.2022 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, लैन्सडौन द्वारा अपनी आख्या /पत्र संख्या–911/12–1, दिनांक 13.09.2023 (प्रति संलग्न) से अवगत कराया गया कि सिम्बलखाल से सिडकुल तक दीवार निर्माण का कार्य नहीं किया गया है।। वर्तमान में सिद्धबली स्टोन केशर बन्द पड़ा है, और इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तथा मानव–हाथी संघर्ष की रोकथाम के लिऐ कोई दीवार नहीं बनायी गयी है।

उक्त विषयक प्रकरण में उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून की पत्र संख्या–1101/12–1, दिनांक 30 जून, 2023 के अनुपालन में वन्यजीव प्रतिपालक (चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व ने अपनी पत्र संख्या–181/29 (NGT) दिनांक 11 सितम्बर, 2023 (प्रति संलग्न) के द्वारा प्रेषित आख्या/रिर्पोट से अवगत कराया गया कि दिनांक 27.08. 2023 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय वन प्रभाग की लालढ़ांग रेंज के सिगड्डी सौत के सिविल व आरक्षित वन की जॉच (प्रति संलग्न) रवासन यूनिट व लालढांग रेंज के कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर की गयी। स्थलीय जॉच रिर्पोट /आख्या अनुसार वर्तमान में सिद्धबली सिब्बलखाल से सिड़कुल तक दीवार निर्माण कार्य नहीं किया गया है। वर्तमान में सिद्धबली स्टोन केशर बद पाया गया। उक्त स्टोन केशर में दिनांक 31.08.2023 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, लैन्सडौन एवं वन्यजीव प्रतिपालक (चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व की जॉच रिर्पोट /आख्या के आधार पर Status Report मा0 एन0जी0टी0 में योजित किये जाने के अनुरोध के साथ ई–मेल (judicial-ngt@gov.in) के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

पत्रांक 848 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक(HoFF), उत्तराखण्ड़।
2. प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण बोर्ड, "गौरा देवी पर्यावरण भवन"46बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को इस कार्यालय की पत्र संख्या–638/12–1, दिनांक 25 अगस्त, 2023 एवं मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0–772/2022 Mohan Chandra Sati Vs. State of Uttarakhand में दिनांक 16.05.2022 के अनुपालन में जॉच आख्या / Status Report अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित।
4. उप निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।
5. वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) राजाजी टाइगर रिजर्व़।

संलग्न–उक्तानुसार।

(डा0 साकेत बडोला)
निदेशक/वन संरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व,देहरादून,
उत्तराखण्ड़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467 E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः-911 /12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 13-9- , 2023

सेवा में

कार्यालय-निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः- **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-772/2022 Mohan Chandra Sati Vs. State of Uttarakhand. में पारित आदेश दिनांक 16.05.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

संदर्भः- **आपका पत्रांक 639/12-1 दिनांक 25.08.2023.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि माननीय National Green Tribunal माध्यम के आदेश दिनांक 16.05.2023 के कम में सिम्बलखाल से सिडकुल तक दीवार निर्माण का कार्य नहीं किया गया है। वर्तमान में सिद्धबली स्टोन केसर बंद पडा है, और इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। तथा मानव हाथी संघर्ष की रोकथाम के लिये कोई दीवार नहीं बनायी गयी है।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

RAJAJI TIGER RESERVE

कार्यालय वन्यजीव प्रतिपालक (चीला)
राजाजी टाइगर रिजर्व।
बिल्केश्वर रोड़ फॉरेस्ट कॉलोनी, हरिद्वार।

G20

पत्रांक 181/21(147) देहरादून, दिनांक 11 सितम्बर, 2023

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहीरदून,
(उत्तराखण्ड)।

विषयः– **विमा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–772/2022 Mohan Chandra Sati Vs. State of Uttarakhand. में पारित आदेश दिनांक 16.05.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– आपकी पत्र संख्या–1101/12–1 दिनांक 30 जून, 2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत् वाद सं0–772/2022 Mohan Chandra Sati Vs. State of Uttarakhand. में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 16.05.2023 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए आदेश में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 31 अगस्त 2023 तक की स्थिति की Status Report दिनांक 15 सितम्बर 2023 तक मा0 एन0जी0टी0 में योजित करने की कार्यवाही के निर्देश के कम में दिनांक 27.08.2023 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लालढ़ांग रेंज के सिगड्डी सौत के सिविल व आरक्षित वन की जॉच (प्रति संलग्न) रवासन यूनिट व लालढांग रेंज के कर्मचारियों के साथ मौके पर जाकर की गयी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

1. श्री चन्द्रमोहन उप राजिक, लालढांग रेंज
2. श्री मनोज लखेड़ा वन बीट अधिकारी
3. श्री अमित सिंह वन बीट अधिकारी
4. श्री राजेन्द्र सिंह वन दरोगा रवासन यूनिट, राजाजी टाइगर रिजर्व।
5. श्री संदीप मिश्रा आउटसोर्सकर्मी
6. श्री हरि सिंह नेगी वाहन चालक

वर्तमान में सिद्धबली स्टोन क्रेशर बन्द पाया गया। उक्त स्टोन क्रेशर मे दिनांक 31.08.2023 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी कार्य संचालित नहीं किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रकरण में वांछित आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(प्रशान्त हिन्दवान)
वन्यजीव प्रतिपालक (चीला)
राजाजी टाइगर रिजर्व।